(2019) 5 S.C.R. 761

मदन प्रसाद सिन्हा उर्फ सनातन बाबा बनाम भारत संघ और आदि

(सिविल अपील नम्बर. 11485/2018) 08 अप्रैल ,2019

(डॉक्टर धनंजय. वाई. चन्द्रचुड़ और हेमन्त गुप्ता, न्यायमूर्तिगण.)

सशस्त्र बल विकलांगता पेंश का अनुदान –अपीलार्थी वर्ष 1971 में रेडियो मैकेनिक के रूप में नामांकित–दस साल बाद अपीलार्थी को कम चिकित्सा श्रेणी में रखे जाने के कारण सैन्य सेवा की छुट्टी दे दी गयी–अपीलार्थी ने युद्ध चोट पेंशन की अनुदान की मांग की हालांकि, ट्रिब्यूनल द्वारा इंकार कर दिया गया वर्ष 2014 में अपीलार्थी को विकलांगता पेंशन दी गयी इसके बाद की वर्ष 1996 से वर्ष 2014 की अवधि के लिए अपीलार्थी ने विकलांगता पेंशन की मांग की –अपील पर निर्धारित किया गया– विकलांगता का आंकलन करने वाला चार्ट इंगित करता है कि 23 मार्च 1994 से 10 वर्ष के लिए विकलांगता का 20 प्रतिशत पर निर्धारण किया गया हालांकि दिनांक 08 मई 1995 को पीसीडीए (पी) इलाहाबाद ने विकलांगता का पुनः निर्धारण 20 प्रतिशत से कम किया इस प्रकार अपीलार्थी को 24 मार्च 1995 से विकलांगता पेंशन प्राप्त नहीं हुई – दिनांक 30 जनवरी 2014 से सैन्य अस्पताल ने अपीलार्थी की विकलांगता का आंकलन 20 प्रतिशत स्थायी रूप पूरे जीवन के लिए किया और उसके उपरान्त अपीलार्थी को विकलांगता पेंशन प्राप्त हुई इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च 1995 और 30 जनवरी 2014 के मध्य अपीलार्थी को विकलांगता पेंशन से इंकार करना गलत था अपीलार्थी को 24 मार्च 1995 और 30 जनवरी 2014 के बीच प्रांसगिक समय पर प्रचलित लागू दरों के अनुसार विकलांगता पेंशन की बकाया धनराशि प्रदान की जाएगी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार– सिविल अपील नम्बर–11485/2018

सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के द्वारा ओ.ए में 19/2017 साथ में एम.ए० नम्बर 764/2018 ओ.ए. नम्बर 19/2017 साथ में एम.ए. 764/2018 में पारित अंतिम आदेश दिनांकित 17.09.2018 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13.07.2018 से।

अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जे एस अत्री, नरेन्द्र सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, चन्द्र नंद झा अधिवक्तागण

761 सुप्रीम कोर्ट (2019) 5 एस.सी.आर

उत्तर दाता के लिए वरिष्ट अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम, प्रशान्त सिंह, बीके सतीजा, श्रीमती अलका अग्रवाल, तनवीर नायर, एक शर्मा अधिवक्तागण।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया

आदेश

1. वर्तमान अपील के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचार हेतु उत्पन्न होते हैं कि अपीलार्थी को विकलांगता पेंशन देने के संबंध में।

2. अपीलार्थी 18 फरवरी 1971 को भारतीय सेना के सिंग्नल कोर में रेडियो मैकेनिक के रूप में नामांकित किया गया था।

3. 18 अगस्त 1981 को कम चिकित्सा श्रेणी में रखे जाने के कारण सेना के नियम 13 (3) के तहत सैन्य सेवा से छुट्टी दे दी गयी।

4. अपीलार्थी का यह केस है कि वर्ष 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली में भागीदारी के परिणाम स्वरूप वह क्रोनिक डुओडीनल अल्सर से पीड़ित हो गया था।

5. अपीलार्थी ने सशस्त्र न्यायाधीकरण के समक्ष युद्ध चोट पेंशन के अनुदान के लिए मामला दाखिल किया। न्यायाधीकरण ने इस आधार पर की युद्ध की चोट पेंशन केवल संचालन की भागीदारी के संबंध में या कर्तव्य की सक्रिय रेखा में देय है के आधार पर युद्ध की चोट पेंशन के अनुदान के लिए याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। वर्तमान केस में न्यायाधीकरण इस दृष्टिकोण की थी कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी किसी कार्यवाही में भागीदारी से नहीं हुई।। न्यायाधीकरण का दृष्टिकोण सही था।

20 नवम्बर 2018 को न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

देरी माफ की जाती है।

अपील दाखिल करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

याची की ओर से यह आग्रह किया गया कि 1996 और 2014 की अवधि के मध्य की विकलांगता पेंशन के अनुदान पर विचार नहीं किया गया वर्ष 2014 में उसके बाद की विकलांगता पेंशन स्वीकार की गयी। इस प्रंसग के लिए 04 सप्ताह का नोटिस जारी किया जाता है। न्यायाधीकरण मदन प्रसाद सिन्हा उर्फ सनातन बाबा बनाम भारत संघ और आदि।

केन्द्रीय एंजेन्सी पर अतिरिक्त प्रति देने के लिए स्वंतत्रता।

आक्षेपित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने से छूट के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार।

नोटिस केवल इस बिन्दु तक ही सीमित है कि क्या अपीलार्थी को 1996 और 2014 के मध्य की अवधि के लिए विकलांगता पेंशन दी जाए।

उत्तरदाता की ओर से दाखिल किया गया जवाबी हलफनामे में एक चार्ट प्रस्तुत किया गया जो री–सर्वे मेडिकल बोर्ड का संदर्भ देता है, जिसमें विकलांगता की सीमा का आंकलन किया गया था ताकि विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए दावे पर निर्णय की सुविधा हो सकें।

चार्ट इंगित करता है कि शुरू में विकलांगता की सीमा 14 जुलाई 1985 से 02 साल के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी। इसके बाद 17 जुलाई 1987 से 02 साल की विकलांगता का 20 प्रतिशत का आंकलन किया गया 17 जुलाई 1990 से 05 साल के लिए 30 प्रतिशत पर और 23 मार्च 1994 से 10 साल के लिए 20 प्रतिशत पर हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि पी.सी.डी.ए. (पी), इलाहाबाद ने 08 मई 1995 को 20 प्रतिशत से कम पर विकलांगता का पुनः मूल्यांकन किया। इसके परिणाम स्वरूप 24 मार्च 1995 से अपीलार्थी को विकलांगता पेंशन प्राप्त नहीं हुई।

30 जनवरी 2014 से सैन्य अस्पताल, दानापुर कैन्ट ने अपीलार्थी की विकलांगता 20 प्रतिशत पर स्थायी रूप से पूरे जीवन के लिए निर्धारित की तथ्यों के उपरोक्त कथन से संकेत मिलता है कि 30 जनवरी 2014 से सैन्य अस्पताल के किये गये मूल्यांकन के अनुसार यह स्थिति है कि अपीलकर्ता पूरे जीवन के लिए 20 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त और उसके बाद उसे विकलांगता पेंशन मिली है।

इस पृष्ठिभूमि में हमारा विचार है कि 24 मार्च 1995 और 30 जनवरी 2014 के मध्य की अवधि के लिए अपीलार्थी को विकलांगता पेंशन से इंकार करना गलत था। सशस्त्र न्यायाधीकरण द्वारा पारित पिछले आदेश के अनुसरण में विकलांगता तत्व को पहले ही गोल कर दिया गया है।

हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को 24 मार्च 1995 और 30 जनवरी 2014 के बीच प्रासंगिक समय पर प्रचलित लागू दरों के अनुसार विकलांगता पेंशन की बकाया धनराशि दी जाए।

इस आदेश की प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर गणना की जाए और अपीलार्थी को बकाया धनराशि अदा की जाए। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट् (2019)5 S.C.R.

तदुनुसार सिविल अपील स्वीकार की जाती है पक्षकार अपना हर्जा स्वयं वहन करेगें। लम्बित प्रार्थना पत्र यदि कोई हो निस्तारित किया जाता है। निधि जैन अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

पुनरीक्षित द्वारा– प्रमोद कुमार–तृतीय, [J.O.Code–UP5969], अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–I, संतकबीर नगर।